भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4476
19.07.2019 को उत्तर के लिए

हाथियों की संख्या

4476. श्रीमती अगाथा के. संगमा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाथियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) निजी व्यक्तियों या धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले बंदी हाथियों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या इन बंदी हाथियों को सार्वजनिक देयता बीमा योजना के तहत कवर किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) वर्ष 2017 में किए गए गत समन्वित हाथी आकलन के अनुसार, देश में हाथियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) निजी व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले बंदी हाथियों की कुल संख्या 1774 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में बंदी हाथियों की सार्वजनिक देयता बीमा योजना से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

****

अनुबंध

'हाथियों की संख्या' के संबंध में दिनांक 19.07.2019 को उत्तर के लिए श्रीमती अगाथा के. संगमा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4476 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारत में हाथियों की संख्या का आकलन, 2017

क्षेत्र	राज्य	हाथियों की संख्या
पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश	1614
	असम	5719
	मेघालय	1754
	त्रिपुरा	102*
	नगालैंड	446*
	पश्चिम बंगाल (उत्तर क्षेत्र)	488
	मणिपुर	9
	मिजोरम	7
		10,139
पूर्वी मध्य क्षेत्र	ओडिशा	1976
	झारखंड	679
	छत्तीसगढ़	247
	बिहार	25
	मध्य प्रदेश	7
	पश्चिम बंगाल (दक्षिण क्षेत्र)	194
		3128
उत्तर पश्चिम क्षेत्र	उत्तराखंड	1839
	उत्तर प्रदेश	232
	हरियाणा	7
	हिमाचल	7
		2085
दक्षिण क्षेत्र	कर्नाटक	6049
	केरल	5706*
	महाराष्ट्र	6
	आन्ध्र प्रदेश	65
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25*
	तमिलनाडु	2761
		14612
कुल योग		**29964**

पश्चिम बंगाल के कुल गणना आंकड़े 682 (उत्तरी बंगाल (488) + दक्षिणी बंगाल (194)) हैं।

* ये परिणाम अप्रत्यक्ष (विष्ठा) गणना पद्धति पर आधारित हैं क्योंकि केरल, नगालैण्ड, त्रिपुरा तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों जैसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रत्यक्ष गणनाएं नहीं की जा सकीं।

******